



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
P.O. Box 22, Mahatma Park, Sector-44, Aliganj, Lucknow-226024, Tel: 2326676
Email: oia@moef.nic.in



पत्र सं. लवी/सुपरी/26/316/2022/एनसी/014

दिनांक: 09.01.2023

सेवा में

अतिरिक्त सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, बनू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/119900/2021

विषय: सोनभद्र वन क्षेत्र (Forest Block) खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रमाणपत्री प्राचीन सड़क योजना (सोनभद्र रोड) के अंतर्गत सुपरसैडिग बार्ड से निर्दिष्ट मार्ग किमी 0.02 से 19.20 तक की नदीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 11.79 हे० अर्पणित वनभूति को नदी-वर्गीकृत प्रयोग एवं बचक 112 एडों से प्राप्ति की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ: अधिसूचना, उत्तर प्रदेश सरकार का संकेत पी-343/81-2-2022-800(372)/2022, दिनांक: 14.12.2022

प्रारम्भ

उपरोक्त विषयक निर्दिष्ट पत्र का आशय स्पष्ट करने का अर्थ है कि निम्नलिखित प्रकरण में उक्त सड़क द्वारा वन (खण्ड) अधिसूचना, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत वन संपत्ति की स्वीकृति मानी थी।

प्रकरण में परीक्षणकर्ता मुझे आपकी यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण को सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सुचना/अभियन्ता को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

1. As per the GIS-DSS analysis, the demarcation of the area proposed for diversion is undervalued. This needs rectification/clarification.
2. As per the proposal, 11 patches of the CA land proposed in non-forest land, but according to the DSS out of 11 patches, 05 patches have been fall in the Reserve Forest area (Khasra No 45, 10, 8, 1305 & 1306). This needs rectification/clarification.
3. Consolidate patch of at-least 5.00 ha needs to be provided for CA. Also CA land has to be contiguous to Forest Block. Accordingly, CA scheme and all related documents need to be revised.
4. The Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land need to be submitted.
5. Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.
6. The sanction letter submitted with the proposal does not indicate the widening of this particular road and the length of road to be widened. The necessary document needs to be provided.

EDS

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक पी० सी०
पत्रांक- 2438 मी० सी०/नवी 11-2022
प्रतिनिधि- प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र को सूचनाएँ एवं फाईल
में प्रेषित है कि उपरोक्त कर्मियों
का निराकरण कर फाईल में
उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

प्रतिनिधि (हस्ताक्षर)

1. प्रधान मुख्य वन सहायक(सी०), वन विभाग, 17, राजा प्रताप नगर, लखनऊ, 200021
2. मुख्य वन सहायक(वन संपत्ति) एवं नोडल अधिकारी वन विभाग, 17, राजा प्रताप नगर, लखनऊ, 200021
3. मुख्य वन सहायक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
4. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र
5. अधिशासी अभियन्ता, दोहावासी/एन० सी०/एन० सी० लोक निर्माण विभाग, रावर्टसगंज, सोनभद्र
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को संबोधित पत्र/अर्पणित वनभूति

सचिव
(सी० प्रवीण गुप्ता)
वन वन महानिदेशक (सोनीय)

10.01.2023
(सी० प्रवीण गुप्ता)
वन वन महानिदेशक (सोनीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 2298/11-सी-FP/UP/Road/119900/2021, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 11, 2023

प्रतिनिधि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिनिधि- प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिनिधि- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस० खण्ड लोक निर्माण विभाग, रावर्टसगंज सोनभद्र को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।